Result Mitra Daily Magazine

मणिपुर में AFSPA का इतिहास एवं AFSPA

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के छ: पुलिस थाना क्षेत्रों में "सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम"(AFSPA, Armed Forces Special Power Act) को फिर से लागू कर दिया है।
- गृह मंत्रालय ने मणिपुर में AFSPA लगाने के कारणों के रूप में वहां की अस्थिर स्थिति एवं हिंसा में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी का उल्लेख किया है।
- ज्ञातव्य है कि कुछ दिन पहले पश्चिमी जिरीबाम के राहत शिविरों से मैतई समुदाय के 6 लोगों के लापता होने के कारण हिंसा फैल गई।
- इस हिंसा की लहर शनिवार (17 नवंबर) को पश्चिमी जिरीबाम जिले से मणिपुर की राजधानी इंफाल तक फैल गई, जिसमें व्यापक आगजनी एवं राजनेताओं के घरों पर हमला किया गया।
- वर्तमान में मणिपुर के इंफाल घाटी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा हुआ है।
- इस हिंसा के शुरू होने के बाद "बराक नदी" में कई शव मिले हैं, जिससे वहां की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है।

➢ AFSPA क्या है ?

- AFSPA यानि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की जड़े वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाई गई एक औपनिवेशिक कानून से जुड़ी है, जिसे स्वतंत्र भारत में भी बरकरार रखा गया था।
- AFSPA को पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया था, जिसके बाद वर्ष 1958 में इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया।

- सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम–1958 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है।
- वर्षों से AFSPA को पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू–कश्मीर एवं पंजाब के अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है।
- वर्तमान में AFSPA नागालैंड, मणिपुर, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है, जबकि जम्मू–कश्मीर के संपूर्ण हिस्से में यह लागू है।
- AFSPA सैन्य कर्मियों को अशांत क्षेत्र में कई प्रकार की कार्यवाहियों के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।
- AFSPA सैन्य कर्मियों को हिंसा करने वाले सशस्त्र उपद्रवियों को गोली मारने की अनुमति देता है।
- AFSPA सैन्य बलों को उचित संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने एवं बिना वारंट के परिसर की तलाशी करने की अनुमति देता है।
- AFSPA के दौरान सैन्य कर्मियों के किसी भी कार्यवाही के खिलाफ बिना केंद्र सरकार के पूर्व मंजूरी के कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है।
- सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम–1958 की धारा–3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद केंद्र सरकार या संबंधित राज्य के राज्यपाल AFSPA को पूरे राज्य या कुछ हिस्सों में लागू कर सकता है।

➢ मणिपुर में AFSPA का इतिहास :

- सर्वप्रथम वर्ष 1958 में अलगाववादी नागा नेशनल काउंसिल (NNC) की सक्रियता वाले तीन जिलों सेनापति, तामेंगलोंग और उखरुल में AFSPA लगाया गया था।
- इसके बाद वर्ष 1960 में मणिपुर के मिजो विद्रोही आंदोलन प्रभावित जिले "चुराचांदपुर" में AFSPA लागू किया गया, जिसे बाद में वर्ष 1979 में पूरे राज्य के बाकी हिस्सों में विस्तारित कर दिया गया।
- वर्ष 2000 में मणिपुर में "मालोम नरसंहार" और थांगजाम मनोरमा की हत्या और कथित बलात्कार के कारण AFSPA विवादास्पद बन गया, जिसके बाद AFSPA को इंफाल नगर पालिका क्षेत्र से हटा दिया गया।
- वर्ष 2002 में एक मणिपुरी कार्यकर्ता "इरोम शर्मिला" ने AFSPA के खिलाफ 16 साल की लंबी भूख हड़ताल शुरू की गई।
- वर्ष 2012 में मणिपुर के "एक्स्ट्राज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम एसोसिएशन" ने मणिपुर में AFSPA लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।

Result Mitra

- इस याचिका में आरोप लगाया गया कि मणिपुर में वर्ष 1979 से 2012 के बीच में AFSPA के कारण सशस्त्र बलों ने 1528 फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें 94 मुठभेड़ों की CBI जांच चल रही है।
- वर्ष 2022 में इंफाल घाटी के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों एवं वर्ष 2023 में शेष चार थाना क्षेत्रों से AFSPA हटा लिया गया था।

➢ AFSPA के महत्वपूर्ण बिंदु :

- AFSPA कानून वर्ष 1958 में नवजात नागा उग्रवाद को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- AFSPA को मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में समय-समय पर लागू किया गया।
- AFSPA के तहत "अशांत क्षेत्र" की परिभाषा इस प्रकार है – "ऐसे क्षेत्र जहां विभिन्न धार्मिक–नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच मतभेद या विवाद हो "अशांत क्षेत्र" के अंतर्गत आती है।

➢ AFSPA को पूरी तरह खत्म करने वाले राज्य :

- पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के कारण वर्ष 1938 में AFSPA लगाया गया था, जिसे 14 वर्षों बाद 1997 में पूरी तरह से हटा दिया गया।
- त्रिपुरा में विभिन्न हिंसक विद्रोह के कारण 16 फरवरी 1997 को AFSPA लगाया गया था जिसे 18 वर्ष बाद मई 2015 में पूरी तरह से हटा दिया गया।

➢ मणिपुर में दोबारा AFSPA लागू करने का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

- मई 2023 में शुरू हुई कुकी–मैतई हिंसा के बाद कुकियों के पहाड़ियों और मैतई समुदाय के घाटियों में वापसी के बाद अधिकांश हिंसा सीमांत क्षेत्र में हुई है।
- ये हिंसा वाले क्षेत्र सेकमाई, लमसांग, लमलाई, लीमारपोंग और मोइरांग हैं, जो इंफाल घाटी के बाहरी किनारे और पहाड़ियों के बगल में स्थित है।
- उपरोक्त क्षेत्रों में मैतई और कुकी सशस्त्र समूहों की हिंसा के पैटर्न और अशांति को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए AFSPA लगाया गया।
- पिछले वर्ष शुरू हुई कुकी–मैतई हिंसा को दबाने के लिए तैनात की गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF) और सेना के जवानों की तैनाती के बावजूद मणिपुर प्रशासन हिंसा रोकने में विफल रहा।

Result Mitra

- मणिपुर में तैनात एक सेना अधिकारी के अनुसार सेना या अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिना किसी वैधानिक सुरक्षा के अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकता था, इसलिए मणिपुर के इन हिंसाग्रस्त बफर जोन में AFSPA लगाना आवश्यक था।
- मणिपुर के हिंसाग्रस्त बफर जोन में AFSPA सेना को बल प्रयोग करने की अधिक स्वतंत्रता देगा, लेकिन यह सरकार की कार्यवाही करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा।
- सरकार के समर्थन से AFSPA के साथ सैन्यकर्मी अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करेंगे, जिससे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में शांति बहाली में मदद मिल सकती है।
- हालांकि अधिकांश अशांत क्षेत्रों के विपरीत मणिपुर में सशस्त्र बल न केवल उग्रवादी समूहों से लड़ रहे हैं बल्कि वे ऐसे नागरिक समाज से लड़ रहे हैं, जो पुलिस शास्त्रागारों से लूटे गए हथियारों से हिंसा कर रहे हैं।

TM
Result Mitra